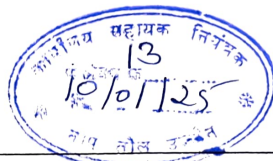


अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष :- 2024

अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम :- मीताक्षी शर्मा एवं पद का नाम अध्यक्ष ग्रेड-2

वेतनमान रुपये :- 44000/- वेतनवृद्धि की अगली तिथि :- 01-07-2025

उक्त जिले उप संभाग तात्कालिक तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरे गृह तथा अन्य भवन या भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतावें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसो निरस प्रकार अर्जित किया खरीदा पट्टा, बंधक, विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तिथि और जिसमें अर्जित की गई उसका नाम तथा व्योरे	संपत्ति से प्राप्त वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
उज्जैन जिला	एक आवासीय भवन	36 भारवा जमिन	स्वयं के नाम पर है	विकास प्राधिकरण उज्जैन से क्रेय किया गया (बैंक से ऋण लेकर)	54000/-	-



मीताक्षी शर्मा
अध्यक्ष ग्रेड-2
जाया अ.वि. नाली उज्जैन

- जो लागू न हो काट दीजिये।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- म०प्र०शासकीय सेवक (आचरण नियम 1989 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वहाँ स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति का व्योरा दें।